9

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 29-1-86 को हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1986 की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1-	श्री खान गुफरान ज़ाहिदी		अध्यक्ष
2-	श्री नौनिहाल सिंह		सदस्य
3-	श्री माता प्रसाद		सदस्य
4-	श्री राम पाल सिंह		सदस्य
5-	श्री अतुल चतुर्वेदी श्री चन्द्र शेखर व्दिवेदी	विशेष सचिव, आवास विभाग संयुक्त सचिव, आवास विभाग (आवास सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
6-	श्री प्रेम नारायण	संयुक्त सचिव, वित्त (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
7-	श्री एन0एस0जौहरी	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
8-	श्री विश्राम सिंह	संयुक्त निदेशक (वित्त) निदेशक, वित्त सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो के प्रतिनिधि)	सदस्य
9-	श्री धीरेन्द्र दत्त बहुगुणा	आवास आयुक्त एवं सचिव, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिये गये:---

क्र0सं0	विषय	संकल्प सं0	निर्णय
1	2	3	4
1-	दि0 5 व 8-11-85 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	प्रथम/(1)/86	परिषद की दि0 5 व 8-11-85 को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2-	परिषद की बैठक दि0 5-8/11/85 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।	प्रथम/(2)/86	परिषद व्दारा दि0 5 व 8-11-86 को हुई बैठक में लिये निर्णयों के कार्यान्वयन सम्बन्धित आख्या की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा परिषद ने निम्न टिप्पणी के साथ अनुमोदन किया:-- 1- भवन निर्माण नियमावली जो परिषद व्दारा पहले से अनुमोदन की गयी है में शासन से प्राप्त सुझावों को समाविष्ट करते हुये बजट में प्रकाशित करने की कार्यवाही 15 दिन के अंदर की जानी चाहिये इसके लिये मुख्य वास्तुविद् नियोजक शासन से स्वयं संपर्क कर यथाशीघ्र कार्यवाही करें। 2- वर्ष-1982-83, 83-84-85 तथा 85-86 के लिये स्थानीय लेखा परीक्षक व्दारा सम्परीक्षण तुरन्त प्रारम्भ कराया जाये। 3- प्रस्ताव संख्या-चतुर्थ/(26)/85 जो परिषद के कार्यकलापों के अनुश्रवण के सम्बन्ध में परिपालन किये जाने से सम्बन्धित है पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष

			आवास आयुक्त एवं मुख्य अभियन्ता अनुश्रवण संबंधी कार्यवाही करते रहें और अनुश्रवण के विभिन्न पहलुओं का परिपालन सुनिश्चित करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करें। पी० आर०एच०डी०मूल्यांकन प्रभाग से भी कुछ दुर्बल आ०व० की योजनाओं का मूल्यांकन कराया जाय।
3-	बीस सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति तथा परिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुश्रवण समिति की अनुपालन आख्या।	प्रथम/(13)/86	परिषद को यह अवगत कराया गया कि अनुश्रवण समिति के समक्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति और परिषद द्वारा सम्पादित किये जा रहे अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। अनुश्रवण समिति ने यह निर्देश दिये कि वर्ष-1985-86 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्यों को हर हालत में समय पर पूर्ण किया जाये। अनुश्रवण समिति द्वारा यह भी समीक्षा करी गई कि लक्ष्यों के निर्धारण तथा उनके लिये आवश्यक आय-व्ययक प्राविधानों में कोई तालमेल नहीं है जिसके परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि परिषद के कार्यकलापों के पुनर्गठन की आवश्यकता है तथा अगले वर्ष धन उपलब्धता की सम्भावना को देखते हुये जितना कार्य किया जा सकता है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष-86-87 में लक्ष्यों को निर्धारित किया जाये। अनुश्रवण समिति ने यह भी निर्देशित दिये कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा अन्य और भवनों के पूर्ण होते ही उनका आवंटन किया जा सके। इसके लिये समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम समय में लक्ष्य प्राप्त किये जाने चाहिये।
4-	मेरठ योजना सं0-6 में समाविष्ट कुंज बिहारी सहकारी गृह निर्माण समिति लि0-719 प्यारे लाल शर्मा रोड मेरठ को शासनादेश सं0-301/37-1 3 एच0बी0(32)/80 दिनांक 15-1-82 के अनुसार भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/(14)/86	मेरठ योजना सं0-6 में समाविष्ट कुंज बिहारी सहकारी गृह निर्माण समिति को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में परिषद द्वारा विचार विमर्श उपरान्त आवास आयुक्त द्वारा आयोजित की गयी बैठक दिनांक 30-7-85 के कार्यवृत्त के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया गया। समिति से इस भूमि की अध्याप्ति पर किये गये समस्त प्रशासनिक व्यय भी ले लिये जायें और शासनादेशों के अनुसार समिति को उसकी भूमि का 50 प्रतिशत क्षेत्रफल ही भवन निर्माण हेतु आवंटित किया जाये।
5-	सिविल लाइन्स योजना सं0-1 रामपुर(पार्ट-2)काशीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1 तथा सीतापुर योजना सं0-1 में क्रमश: उ0आ0व0-97/242 प्रकार के एक भवन आ0व0 53/127 प्रकार के 2 भवनों तथा श्रेणी "ब" के भवन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(15)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
6-	गोण्डा तथा फिरोजाबाद नगरों में स्ववित्त पोषित योजना-1984 के अन्तर्गत प्रस्तावित भवनों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(16)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

1	2	3	4
7-	अयोध्या मार्ग योजना फैजाबाद में कब्जा प्राप्त भूमि 19.22 एकड़ पर विकास कार्यों के सम्पादन हेतु तथा लेआउट के अनुसार भवनों के निर्माण हेतु भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(7)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
8-	श्री किशन दास को इन्दिरानगर योजना लखनऊ के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में प्रदिष्ट भूखण्ड सी0-19/225 का भुगतान भारतीय मुद्रा में स्वीकार किए जाने के संदर्भ में।	प्रथम/(8)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में प्रस्तुत वर्णित परिस्थितियों में श्री किशनदास को भूखण्ड के विरुद्ध अवशेष धनराशि भारतीय मुद्रा में दिये जाने की स्वीकृति दे दी जाये। इस मामले को भविष्य के लिये दृष्टान्त नहीं माना जायेगा।
9-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद लिपिकीय सेवा विनियम-1980 के नियम 5(ख) में संशोधन।	प्रथम/(9)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण पर पुनः इस बात का परीक्षण कर लिया जाय कि स0ले0-द्वितीय, सं0ले0-प्रथम एवं सहायक लेखाकारों के इस समय कितने पद हैं तथा इन संवर्गों के प्रोन्नति के क्या अवसर हैं। परीक्षणोपरान्त पुनः परिषद की अगली बैठक में रखा जाय।
10-	श्रीमती पुष्पा रानी जैन को इन्दिरानगर योजना लखनऊ में स्वयं वित्त पोषित योजनान्तर्गत प्रदिष्ट भवन सं0-20/16 पर लगाये गये अतिरिक्त ब्याज को माफ किये जाने के संदर्भ में परिषद के सं0सं0-45 दि0 8नवम्बर-1985 द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आवास आयुक्त की संस्तुति।	प्रथम/(10)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती पुष्पा रानी जैन को भुगतान में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में लिये गये अतिरिक्त ब्याज को माफ किया जाना सम्भव नहीं है। आवास आयुक्त उनके द्वारा देय धनराशि को उनकी सुविधानुसार किस्तों में भुगतान किये जाने की स्वीकृति अपने स्तर से देने पर विचार करलें।
11-	हडको वित्त पोषित 14 आवासीय योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु हडको द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ऋण प्राप्त करने के संबंध में।	प्रथम/(11)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
12-	इन्दिरानगर योजना लखनऊ के सेक्टर 6 में प्रस्तावित बहुखण्डीय भवन हेतु मिट्टी परीक्षण तथा वायर फेंसिंग के कार्य कराने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(12)/86	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।
13-	मेरठ योजना सं0-7 फेज 1 में म0आ0व0-एम0-3/79 प्रकार के 211 भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/(13)/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
14-	श्री कामेश्वर सिंह सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षक एवं स्वतन्त्रता सेनानी को परिवर्तन इन्दिरानगर लखनऊ में प्रदिष्ट म0आ0व0भवन सं0-सी0-1162 के मूल्य के संबंध में।	प्रथम/(14)/86	श्री कामेश्वर सिंह, सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षक एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को परिवर्तन फलस्वरूप इन्दिरानगर लखनऊ में प्रदिष्ट म0आ0व भवन सं0 सी0-1162 के मूल्य के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव वापिस ले लिया गया। इस प्रकरण पर अध्यक्ष

1	2	3	4
			एवं आवास आयुक्त नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।
15-	इन्दिरानगर आवास योजना लखनऊ में निर्मित दो मंजिला भवनों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	प्रथम/॥15॥/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इन्दिरानगर आवास योजना लखनऊ में निर्मित दो मंजिले भवनों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता स्थिति का अध्ययन करें कि किन परिस्थिति में इन भवनों का निर्माण किया गया जब कि इनका आवंटन सामान्य नियमान्तर्गत सम्भव नहीं हो पाया ताकि भविष्य में ऐसे निर्माण की पुनरावृत्ति न हो।
16-	पर्व में सेलेक्शन ग्रेड पाये अवर अभियन्ताओं के पुनरीक्षित वेतनमान में प्रस्तावित किये गये सेलेक्शन ग्रेड में वेतन निर्धारण एवं तदनुसार नियमों में संशोधन।	प्रथम/॥16॥/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण वेतन आयोग को निर्णयार्थ संदर्भित किया जाये।
17-	श्री राजेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की सूचना।	प्रथम/॥17॥/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री राजेन्द्र बहादुर श्रीवास्तव के प्रस्तुत प्रकरण पर आवास आयुक्त नियमानुसार उचित निर्णय स्वयं ले लें।
18-	वित्तीय वर्ष 1978-79 की स्थितिपत्रक पर सम्परीक्षण द्वारा उठायी आपत्तियों की प्रस्तरवार अनुपालन कार्यवाही।	प्रथम/॥18॥/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त वित्तीय वर्ष 1978-79 की स्थिति पत्रक पर सम्परीक्षण द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के अनुपालन की कार्यवाही के अवलोकन के उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
19-	डिजाइन खण्डों में कार्यरत अवर अभियन्ताओं को डिजाइन भत्ता दिये जाने के संबंध में।	प्रथम/॥19॥/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित विशेष भत्ता 1-2-86 से दिया जाये।
20-	इन्दिरा नगर लखनऊ में स्वयं वित्त पोषित योजनान्तर्गत वर्ष-82 के पंजीकृत व्यक्ति श्री देश दीपक वर्मा को भूमि मूल्य दर रु0 150-00 प्रतिवर्गमीटर लगाये जाने के संदर्भ में परिषद के दि0 8-11-85 के निर्णय के परिपेक्ष्य में पुनः परीक्षण रिपोर्ट।	प्रथम/20॥/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण पर स्थिति का पूर्ण परीक्षण नहीं किया गया है अतः प्रकरण का पूर्ण परीक्षण करके परिषद की अगली बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय।
21-	इन्दिरानगर विस्तार योजना लखनऊ के सेक्टर-11 में प्रस्तावित दु0आ0व0 तथा अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रथम/॥21॥/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।
22-	योजनाओं का परित्याग/परिष्कार	प्रथम/॥22॥/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित 1226.0 एकड़

1	2	3	4
			भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण अर्जन की प्रक्रिया में आने वाले भूमि पर जो परिषद का अर्जन प्रक्रिया में व्यय हुआ है उसका विवरण तैयार किया जाये और इसका मूल्य सहकारी समितियों, संस्थाओं, एजेंसियों एवं कालोनाईजर्स से समुचित रूप से वसूल किया जाये। सहकारी समितियों, संस्थाओं, एजेन्सीयों तथा कालोनाईजर्स को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव की विस्तृत रूपरेखा परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।
23-	परिषद में कार्यरत मास्टर रोल कर्मचारियों की दैनिक वेतन की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में।	प्रथम/123।/86	परिषद में कार्यरत मस्टर रोल कर्मचारियों को दैनिक वेतन की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सा0नि0 विभाग द्वारा इस श्रेणी के कर्मचारियों को जो पुनरीक्षित दरें स्वीकृत की गयी हैं इन्हीं दरों पर परिषद के इस श्रेणी के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन दिनांक 1-2-86 से स्वीकृत किया जाये। इस संबंध में कृत कार्यवाही से परिषद को अवगत कराया जाये।
24-	श्रीमती मोहनी खारे टेलीफोन आपरेटर को उच्च वेतनमान देने के संबंध में।	प्रथम/124।/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सचिवालय प्रशासन एवं अन्य निगमों/संगठनों से विस्तृत सूचना एकत्रित करके प्रकरण का पुनः परीक्षण कर अगली बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाये।
25-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के कर्मचारियों को पंजीकरण जमा धनराशि में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/125।/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्न संशोधनों के साथ स्वीकृत किया गया:- 1- यह सुविधा परिषद के उन्हीं नियमित अधिकारियों/ कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जिन्होंने न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा कर ली हो। 2- उन नियमित अधिकारियों/ कर्मचारियों से सी0 पी0एफ0 की कटौती हो रही हो। 3- यह सुविधा स्वयं वित्त पोषित में देय नहीं होगी।
26-	मुख्यालय पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सहायक श्रेणी तृतीय के रिक्तियों में सहायक श्रेणी तृतीय के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।	प्रथम/126।/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नियमानुसार सेवा योजन कार्यालय के माध्यम से नियुक्तियां की जाये तथा परिषद में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाये।
27-	परिषद में कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यप्रभारित पम्प कार्यरत प्रशिक्षित पम्प आपरेटर ।हैवी। मशीन। व बिजली मिस्त्री के वेतनमान पुनरीक्षित दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/ 127।/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण करा लिया जाय तथा पूर्व में प्रस्तुत विसंगतियों के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परिषद की अगली बैठक में प्रकरण को प्रस्तुत किया जाय।
28-	परिषद की राजपुर रोड योजना देहरादून में डा0 अम्मार रिजवी भू0पू0 मंत्री एवं विधायक तथा श्रीमती बीना दुग्गल सदस्य विधान परिषद को भवन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/128।/86-	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि देहरादून में किश्तों में आवंटित किये जाने वाले भवन उपलब्ध न होने के कारण डा0अम्मार रिजवी तथा श्रीमती बीना दुग्गल को इस नगर में भूखण्डों के उपलब्ध होने पर आवश्यक नियमों को पूरा करने की दशा में 2 स्वयं वि0पो0भवन आवंटित करने की कार्यवाही की जाये।

1	2	3	4
29-	श्री संजय शिक्षा निकेतन स्कूल वाराणसी के लिये भूखण्ड का आवंटन	प्रथम/129/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त अस प्रकरण पर विचार करके अन्तिम निर्णय ले लें और इस संबंध में कृत कार्यवाही से परिषद को अगली बैठक में अवगत करायें।
30-	अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव।	प्रथम/30/86	अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव प्रीफिविकेशन इन हाउसिंग से परिषद को अवगत कराया गया। परिषद ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त प्रदेश की परिस्थितियों के परिवेश में इस प्रकरण का गहन परीक्षण करें और इस सम्बन्ध में परिषद को लाभान्वित करने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करें।
31-	आवास परिषद की जनपद वाराणसी में प्रस्तावित पाण्डेपुर एवं तुलसीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना से प्रभावित काश्तकारों को एकमुश्त भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रथम/131/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रकरण पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित संस्तुतियाँ परिषद हित में उचित प्रतीत नहीं होती है। जिलाधिकारी वाराणसी को यह सूचित किया जाय कि उक्त योजना से प्रभावित काश्तकारों को भूमि अध्याप्ति अधिनियम तथा उसमें अधितम संशोधन के प्राविधानों के अन्तर्गत ही प्रतिकर दिया जाना संभव है।
32-	इन्दिरानगर लखनऊ स्थित अ0आ0व0भवन सं0-909/1 के आवंटन तथा परिवर्तन के संदर्भ में।	प्रथम/132/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इन्दिरा नगर, लखनऊ स्थित अल्प आय वर्ग भवन सं0ए0-909/1 को नकद पद्धति पर श्रीमती दुलरावती सिंह को आवंटित कर दिया जाये।
33-	परिषद की बरेली पीलीभीत रोड योजना सं0-3 में श्री दिलदार हुसैन अन्सारी सदस्य विधान परिषद को भूखण्ड सं0-297 के आवंटन के संबंध में।	प्रथम/133/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्री दिलदार हुसैन, सदस्य विधान परिषद को भूखण्ड सं0-297 बरेली-पीलीभीत योजना में रू0 475/- प्रतिवर्गमीटर की दर से आवंटित कर दिया जाय।
34-	शाहपुर योजना, गोरखपुर में श्रीमती राजमती श्रीवास्तव को अल्प आय वर्ग भवन सं0-ए0-105/4 के आवंटन के सम्बन्ध में।	प्रथम/134/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परिषद की गोरखपुर की योजना में श्रीमती राजमती श्रीवास्तव पत्नी श्री विन्ध्याचल प्रसाद श्रीवास्तव को अल्प आय वर्ग का एक भवन नकद पद्धति पर आवंटित कर दिया जाय।
35-	श्रीमती चन्द्रलेखा पत्नी श्री सुरेश बहादुर सिंह को नकद पद्धति पर इन्दिरानगर आवासयोजना लखनऊ में अ0आ0 व0 भवन सं0-ए0-917//6 प्रदिष्ट किये जाने के संदर्भ में।	प्रथम/135/85	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती चन्द्रलेखा पत्नी श्री सुरेश बहादुर सिंह को नकद पद्धति पर इन्दिरानगर योजना लखनऊ में अल्प आय वर्ग भवन-सं0 ए0-917/6 प्रदिष्ट कर दिया जाये।
36-	वाराणसी तथा मुरादाबाद में निर्मित बहुमंजिले भवनों के आवंटन के सम्बन्ध में।	प्रथम/136/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि चूँकि उक्त भवनों के निर्माण में धन व्यय हो चुका है और उनका आवंटन किया जाना अति आवश्यक है अतः प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है। यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता स्थिति का अध्ययन करें कि किन परिस्थितियों में इन भवनों का निर्माण किया गया जब कि इनका आवंटन सामान्य नियमान्तर्गत ते

1	2	3	4
			सम्भावतः नहीं हो पाया ताकि भविष्य ऐसे निर्माण की पुनरावृत्ति न हो।
37-	सहायक आवास आयुक्त के पद पर प्रोन्नति के संबंध में सेवा विनियमावली।	प्रथम/137/86	परिषद की अगली बैठक के लिये विचारार्थ स्थगित।
38-	रुड़की में प्रतिष्ठित भवनों के पुनर्जीवन किस्तों में समयवृद्धि आदि के सम्बन्ध में।	प्रथम/138/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियन्ता मौके पर इन तथ्यों की जाँच कर लें कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आयीं कि भवनों का आवंटन इस प्रकार करना पड़ रहा है ताकि इस स्थिति की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो।
39-	अमरोहा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0 1 पर्क अमरोहा में समाविष्ट श्रीमती नादिरा खान की भूमि खसरा सं0-3675 के संबंध में।	प्रथम/139/86	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया।

पुष्टि की गयी

[signature]

अध्यक्ष

फ्लैक्सलीन-18-3-86